न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
अपील सं. 06 / 2024

आनन्द पुत्र आत्माराम जाति कुम्हार निवासी कुलचंद्र तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

अपीलांट

बनाम

1. नायब तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी।

मूल रेस्पोडेंट

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधिशासी अभियंता खण्ड हनुमानगढ।

तरतीबी पक्षकार

अपील अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 5.2.2024 प्र सं. 13 / 2023 राजस्थान उपनिवेशन की धारा 22 नायब तहसीलदार टिब्बी।

उपस्थितः– 1. श्री अनिल कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः –31.05.2024

अपील अपीलांट निम्न प्रकार है कि पटवारी हलका कुलचंद्र द्वारा दिनांक 11.12.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि चक 8 सीडीआर में प नं. 224/248 (03) कि नं. 0/0.020 है., 11/0.021, 20/0.020 है गै. मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है जिस पर गेहूं फसल द्वारा अतिकर्मी आनन्द पुत्र श्री आत्मा राम, जाति कुम्हार, निवासी कुलचंद्र, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। मौका पर गै.मु. रास्ता भूमि पर कब्जा कर रखा है। कुल 0.061 है. भूमि गै. मु. रास्ता आराजी राज पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को उपधारा 3 के तहत नोटिस जारी कर रकबे के संबंध में सबूत प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। आदि–आदि तथ्यों के आधार पर धारा 22 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 खण्ड 1 के तहत अप्रार्थी आनन्द पुत्र श्री आत्मा राम, जाति कुम्हार, निवासी कुलचंद, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ को अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू. अ. निरीक्षक सूरेवाला को अतिक्रमित गै. मु. रास्ता भूमि पर काश्त फसल को बहक सरकार कुर्क किये जाने का आदेश दिया गया जिनको अपीलांट निम्न आधारों पर चुनौती देता हैः–

अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष पत्रावली वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र प्रक्रम पर व प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र के निस्तारण प्रक्रम पर थी जिसको अनदेखा कर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट दिनांक 26.12.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया था जिस पर अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष जबाब प्रस्तुत करने हेतु मुताबिक दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान 90 दिवस का समय दिया जाना निर्धारित है किन्तु विधि को ध्यान न रखते हुए व विधिक प्रावधानों की उल्लंघना कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो कि अपीलांट को जवाब का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाना नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने [illegible] निरस्ती के है। अपीलांट का रकबा चक 7 सीडीआर में आमने सामने रोड के [illegible] तरफ है। अपीलांट के रकबा में से उत्तर से दक्षिण सड़क कुलचंद्र [illegible] अपीलांट के 0.061 है. भूमि में से होकर गुजरती है यानी [illegible] छोर में भूमि है। स[illegible] पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है । मुताबिक [illegible] सार्वजनिक निर्माण वि[illegible] द्वारा अपने पत्र क्रमांक 237 दिनांक 21.4.2023 में भी यह माना है कि अपीलांट अतिक्रमी नहीं है व सड़क 0.061 है. गै. मु. रकबा में स्वीकृत की गई है किन्तु इसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा व विरोधाभासी विधि विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.05 13:47:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

निर्णय पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज के है ।

तहसीलदार राजस्व टिब्बी ने मौका निरीक्षण कर पत्रांक 237 दिनांक 21.4.2023 कुलचंद्र से नाईवाला संपर्क सड़क चक 7 सीडीआर के खाता संख्या 01 खसरा नबर 59 / 2 में 0.494 हैक्टेयर प नं. 224 / 245 (26) कि नं. 10, 20, 21, प नं. 224 / 246 (43) व प नं. 224 / 247 (48) प्रत्येक के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 3–3 बिस्वा तथा चक 8 सीडीआर खाता सं. 01, खसरा संख्या 51 में 0.759 हैक्टेयर, प नं. 224 / 251 (42) कि नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 0.759 हैक्टेयर, प नं. 224 / 248 (3), प नं. 224 / 249 (16) 224 / 250 (32), प नं. 224 / 251 (42), कि नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे प्रत्येक 3–3 बिस्वा, चक 10 सीडीआर (ए) खसरा नंबर 66/1 में 0.570 है. प नं. 224 / 552 (8), प नं. 224 / 253 (31), प नं. 224 / 254 (42) प्रत्येक कि नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे प्रत्येक 3–3 बिस्वा, गै. मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड की जगह अधिशासी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड हनुमानगढ द्वारा पत्र क्रमांक अधि 237 दिनांक 21.4.2023 अनुसार कुलचंद्र से नाईवाला सडक का निर्माण पूर्व में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध राजस्व रास्ते पर करवाया गया था। कालान्तर में उक्त सड़क को राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय अनुसार आगामी संधारण हेतु पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित किया गया था। उक्त सडक के संबंध में इस कार्यालय पत्र क्रमांक राजस्व 548 दिनांक 21.03.2023 द्वारा एईए पीडब्ल्यूडी उपखण्ड टिब्बी को राजस्व रिकार्ड में पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम दर्ज करवाने हेतु पत्र प्रेषित कर वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में मौजूद गै. मु. रास्ता दर्ज है परंतु उक्त सडक वर्तमान में आगामी संधारित हेतु पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित है। संधारण के लिए विभाग पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज करने का पत्र जारी कर उक्त सडक पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित है। इस समय उक्त सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित है जिस पर तहसीलदार राजस्व का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इन सब तथ्यों की अनदेखी कर राजनैतिक दबाव के चलते अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से विधि विरूद्ध अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज है ।

कार्यालय जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ के पत्रांक प16 (5) विधि /23/2028 दिनांक 25.5.2023 द्वारा उपरोक्त कुलचंद्र से नाईवाला रोड में राजस्व रास्ते की जगह चल रही है, को अधिशासी अभियंता प्रभारी पीडब्ल्यूडी विभाग हनुमानगढ को जारी कर प्रकरण को सब ज्यूडिस मानते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया गया है जिसके संबंध में पत्रांक 1029 तहसीलदार राजस्व को भी प्रेषित कर कोई कार्यवाही नहीं करने का आदेश जारी किया गया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना कर विधि विरूद्ध क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पीडब्ल्यूडी विभाग की रोड पर गैर कानूनी तरीके से बगैर पैमाइश किए बगैर पैमाइश की रिपोर्ट अपीलांट को उलब्ध करवाए व समुचित जवाब का अवसर दिये बगैर मनमर्जी से अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में गुपचुप तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज है। कार्यालय अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी हनुमानगढ के पत्र क्रमांक 237 दिनांक 21.4.2023 कुलचंद्र से नाईवाला सडक का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा राजस्व रास्ते को आगामी संधारण हेतु सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित किया गया था। सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी उपखण्ड टिब्बी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर निर्मित डामर सड़क पर कोई अतिक्रमण चिह्नित नहीं है। चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा संधरित उक्त सड़क एवं राजस्व रास्ते ... इन सभी तथ्यों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मनमर्जी से विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो ... न्यायालय के समक्ष अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुए आगामी तारीख पेशी मुकर्रर की थी कि उक्त पेशी पर जवाब प्रस्तुत कर देवें व उक्त पेशी पर लंबित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाएगी जबकि उक्त पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है जो कि काबिले खारिजी के है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.2.2024 प्र सं. 13 / 2023 नायब तहसीलदार टिब्बी के निर्णय को खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.05 13:47:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अपीलांट का रकबा चक 8 सीडीआर में आमने–सामने रोड के दोनों तरफ है। अपीलांट के रकवा में से उत्तर से दक्षिण सडक कुलचंद्र – नाईवाला चालू है जो कि अपीलांट के 0.061 है. भूमि में से होकर गुजरती है यानी अपीलांट की सडक के दोनों छोर में भूमि है। कार्यालय जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ के पत्रांक प16 (5) विधि/23/2028 दिनांक 25.5.2023 द्वारा उपरोक्त कुलचंद्र से नाईवाला रोड में राजस्व रास्ते की जगह चल रही है, को अधिशासी अभियंता प्रभारी पीडब्ल्यूडी विभाग हनुमानगढ को जारी कर प्रकरण को सब ज्यूडिस मानते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया गया ह श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय का पाबंद किया हुआ है कि उक्त पैमाइश प्रकरण के निस्तारण से पूर्व कोई कार्यवाही पैमाइश के आधार पर अमल में नहीं लाई जावे किन्तु इन तथ्यों के बावजूद भी एकतरफा व उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.2.2024 प्र सं. 20/ 2023 नायब तहसीलदार टिब्बी के निर्णय को खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.2.2024 प्र सं. 13/ 2023 नायब तहसीलदार टिब्बी के निर्णय विधि अनुसार है, इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अवलोकन में पाया कि–

1. तहसीलदार टिब्बी ने उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को प्रेषित पत्र कमांक 9144 दिनांक 26.10.23 में यह माना है कि प्रश्नगत सडक नाईवाला से कुलचन्द्र राजस्व रास्ते पर निर्मित है। उक्त सड़क को आगामी संधारण हेतु पीडब्ल्यूडी को हस्तानांतरित किया गया। उक्त सड़क 30 वर्ष पूर्व निर्माण कृषि उपज मंडी द्वारा किया गया जो पीडब्ल्यूडी को हस्तातंरित है। जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज है।
2. नायब तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ने अपने निर्णय दिनांक 05.02.2024 में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांट द्वारा राजस्व रास्ते पर किस–किस किला नं0 पर, किस प्रकार से, कितना अतिक्रमण किया है?, जबकि स्वीकृत रास्ता के अनुसार सड़क वर्तमान में चालु है जो कि स्वीकृत रास्ते में ही निर्मित है।

उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा प्रकरण सं0 13/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2024 विधि अनुसार नहीं होने के कारण अपास्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रकरण में विधि अनुसार 30 दिवस में पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.05 13:47:46 IST
Reason: SelfAttested